रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249065
CG-DL-E-29092023-249065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
No. 559] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 48/2023-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 704(अ).—** केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 30) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,1 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 48/2023 – Central Tax**

**G.S.R. 704(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (30 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 49/2023 - केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 705(अ).—** केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उप-धारा के तहत निम्नलिखित आपूर्ति को अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

(i) ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति;

(ii) ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति; और

(iii) कसीनो में कार्यवाई योग्य दावों की आपूर्ति

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 49/2023 – Central Tax**

**G.S.R. 705(E).—** In exercise of the powers conferred under sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, notifies the following supplies under the said sub-section, namely:—

(i) supply of online money gaming;

(ii) supply of online gaming, other than online money gaming; and

(iii) supply of actionable claims in casinos.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 50/2023 - केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 706(अ).—**केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)की अधिसूचना संख्या 66/2017 - केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1422 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निमंलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी, "उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संरचना उद्रग्रहण ", शब्दो और अंक के पश्चात "उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102 क) में परिभाषित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य," शब्दो और अंको को अंतः स्थापित किया जायेंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना संख्या 66/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि.1422 (अ), तारीख 15 नवंबर 2017 के अधीन प्रकाशित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 50/2023 – Central Tax**

**G.S.R. 706(E).—** In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 66/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R. 1422(E), dated the 15th November, 2017, namely: —

In the said notification, with effect from the 1st October, 2023, after the words and figures "composition levy under section 10 of the said Act", the words and figures ", other than the registered person making supply of specified actionable claims as defined in clause (102A) of section 2 of the said Act," shall be inserted.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** The principal notification No. 66/2017- Central Tax, dated the 15th November, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1422(E), dated the 15th November, 2017.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 51/2023-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 707(अ).—** केंद्रीय सरकार,केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और केंद्रीय माल और सेवाकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अक्तूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।

**2.** केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर होने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आवेदक"कहा गया है) सिवाय—

(i) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति;

(ii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है;

(iii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है;

(iv) कोई व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं को प्रदाय कर रहा है या कोई व्यक्ति, जो धारा 14क में निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग प्रदाय कर रहा है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपने स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषणा करेगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।"

**3.** उक्त नियमों के नियम 14 में,--

(i) शीर्ष में "पूर्ति करने वाले"शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले "शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii)उपनियम (1) में," पूर्ति करने वाला"शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला "शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

**4.** उक्त नियमों में नियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**31ख. आनलाइन गेमिंग, जिसके अंतर्गत आनलाइनमनी गेमिंग सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य—**इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आनलाइन गेमिंग की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, धन या धन का मूल्य, जिसके अंतर्गत वर्चुअल डिजीटल आस्तियां सम्मिलित हैं, के माध्यम से प्लेयर द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को कुल संदत्त रकम या संदेय या पूर्तिकार के पास जमा कुल रकम होगी:

परंतु पूर्तिकार द्वारा प्लेयर को चाहे किसी भी कारण से, जिसके अंतर्गत प्लेयर द्वारा पूर्तिकार को संदत्त रकम या पूर्तिकार के पास जमा रकम का किसी घटना में भाग लेने के लिए उपयोग न करना सम्मिलित है, वापस की गई कोई रकम की आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

**31ग. कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य—**इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के लिए खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त संदत्त या संदेय कुल रकम होगी —

(i)कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय ;

(ii) कैसिनो में किसी घटना में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया, जिसमें टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु कैसिनो द्वारा खिलाड़ी को, टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट की वापसी, जैसी स्थिति हो, के लिए वापस या प्रतिदाय की गई किसी रकम की कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।

**स्पष्टीकरण—**नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजन के लिए किसी घटना,जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया सम्मिलित है, को जीतने के द्वारा प्लेयर द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाड़ी द्वारा किसी और घटना में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को संदत्त रकम या उसके पास जमा रकम नहीं माना जाएगा ।"

**5.** उक्त नियमों के नियम 46 के खंड (च) के परंतुक में, "परंतु "शब्दों के पश्चात्,"आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति को अंतर्वलित करने वाले मामलों में या ऐसे मामलों में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

**6.** उक्त नियमों के नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"64. आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं का उपबंध करने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग का उपबंध कर रहा है या भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं का उपबंध कर रहा है, पश्चातवर्ती कलैंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी फाइल करेगा ।"

**7.** उक्त नियमों के नियम 87 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, "वाला व्यक्ति "शब्द के स्थान पर, "वाला व्यक्ति या धारा 14क में यथानिर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति," शब्द,अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

**8.** उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में,--

(i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।";

(ii) भाग क में सारणी में, क्रम सं. (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

| | | |
|---|---|---|
| "(iiक) | पूर्ति की किस्म | (क) आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति<br>(ख) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं<br>(ग) पूर्वोकत (क) और (ख) दोनों" |

(iii)सारणी के भाग ख में,--

(क) क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

| | | |
|---|---|---|
| "2. | भारत में आनलाइन सेवा या आनलाइन मनी गेमिंग प्रारंभ करने की तारीख | दिन/मास/वर्ष |
| 3. | वेबसाइट/प्लेटफार्म/आवेदक का नाम आदि, जैसा लागू हो, का यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल)जिसके माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं:<br>1.<br>2.<br>3. " | |

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

| | |
|---|---|
| "7 | घोषणा<br>मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।<br>मैं, _......................घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ । मैं कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता (ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के मामले में)से और/या कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित प्राप्तिकर्ता से (ऑनलाइन मनी गेमिंग के मामालों में)दायी कर को भारित और संग्रह करुंगा और इसे भारत सरकार के पास जमा करुंगा ।<br><br>स्थान हस्ताक्षर<br>तारीख प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता<br>पदनाम: |

(iv) अनुदेश में, मद 2 में, "धारा 14" शब्द और अंक के पश्चात्, "या धारा 14क, जैसी भी स्थिति हो," शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-5क, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप जीएसटीआर-5क

*[नियम 64 देखें]*

भारत के बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित है) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति का ब्यौरा और भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति का ब्यौरा

1. पूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन-
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-

(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो-

3. भारत में विवरणी फाइल करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम-

4. अवधि:..................माह......................वर्ष

4(क) एआरएन:

4(ख) एआरएन की तारीख:

5. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

| पूर्ति का स्थान(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | कर की दर | कर योग्य मूल्य | एकीकृत कर | उपकर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

5क. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

| माह | पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | कर की दर | कर योग्य मूल्य | एकीकृत कर | उपकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है

(रकम रुपए में)

| जीएसटीआईएन | कर योग्य मूल्य |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | |
| | |
| | |

5(ग) गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों, जिस पर दिया गया कर रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, में संशोधन

(रकम, रुपए में)

| माह | मूल जीएसटीआईएन | संशोधित जीएसटीआईएन | कर योग्य रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

5(घ) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

| पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | कर की दर | कर योग्य मूल्य | एकीकृत कर | उपकर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

5(ड.) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

| माह | पूर्ति का स्थान(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | कर की दर | कर योग्य मूल्य | एकीकृत कर | उपकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. ब्याज, या किसी अन्य रकम की गणना

(रकम, रुपए में)

| क्रम. सं. | विवरण | पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) | शोध्य रकम(ब्याज/अन्य) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एकीकृत कर | उपकर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ब्याज | | | |
| 2. | अन्य | | | |
| | कुल | | | |

7. कर, ब्याज और अन्य संदाय योग्य और संदत्त रकम

(रकम, रुपए में)

| क्रम. सं. | विवरण | संदाय योग्य रकम | | विकलन प्रविष्टि सं. | संदत्त रकम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एकीकृत कर | उपकर | | एकीकृत कर | उपकर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कर दायित्व (सारणी 5, 5क, 5घ और 5ड.) | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ब्याज (सारणी 6 पर अधारित) | | | | | |
| 3. | अन्य (सारणी 6 पर अधारित) | | | | | |

**सत्यापन**

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम/प्रास्थिति"

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 व संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना सं. 38/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 4 अगस्त, 2023 व संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 51/2023 – Central Tax**

**G.S.R. 707(E).—** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council and in supersession of the Central Goods and Services Tax Rules (Third Amendment) Rules, 2023, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

**1**. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1$^{st}$ day of October, 2023.

**2**. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(1) Every person who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant"), except–

(i) a non-resident taxable person;

(ii) a person required to deduct tax at source under section 51;

(iii) a person required to collect tax at source under section 52;

(iv) a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India referred to in section 14A under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017),

shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

**Provided** that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor."

**3.** In the said rules, in rule 14, –

(i) in the heading, after the words "**online recipient" the letters and words "or to a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India"** shall be inserted;

**(ii) in sub-rule (1), after the words "online recipient" the letters and words "**or any person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India" shall be inserted.

**4.** In the said rules, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

**"31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.–** Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money's worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

**31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.–** Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –

(i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or

(ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

***Explanation***.- For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player."

**5.** In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, after the words "Provided that" the words "in cases involving supply of online money gaming or in cases" shall be inserted.

**6.** In the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely: –

"**64. Form and manner of submission of return by persons providing online information and data base access or retrieval services and by persons supplying online money gaming from a place outside India to a person in India.-** Every registered person either providing online money gaming from a place outside India to a person in India, or providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to a registered person other than a non-taxable online recipient, shall file return in FORM GSTR-5A on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof."

**7.** In the said rules, in rule 87, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words and figures "section 14", the words, letters, brackets and figures "section 14, or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India as referred to in section 14A," shall be substituted.

**8.** In the said rules, in FORM GST REG-10, –

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely—

"**Application for registration of person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India or for registration of person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient in India.";**

(ii) in Part A, in the table, after serial number (ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

| | | |
|---|---|---|
| "(ii a) | Type of supply | (a) Supply of online money gaming<br>(b) Supply of online information and database access or retrieval services<br>(c) Both (a) and (b) above" |

(iii) in Part B, in the table, —

(a) for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

| | | |
|---|---|---|
| "2. | Date of commencement of the online service or online money gaming in India. | DD/MM/YYYY |
| 3 | Uniform Resource Locators (URLs) of the website/platform/name of the application, etc, as applicable through which online money gaming or online information and database access or retrieval services are provided:<br>1.<br>2.<br>3." | |

(b) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

| | |
|---|---|
| "7 | Declaration<br>*I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.*<br><br>*I, _ ………………………….. hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-taxable online recipient located in taxable territory(in case of online information and database access or retrieval services) and/or from the recipient located in taxable territory (in case of online money gaming) and deposit the same with Government of India.*<br><br>Signature<br>Place: Name of Authorised Signatory:<br>Date: Designation:" |

(iv) in the Instructions, in item 2, after the words and figures "section 14", the words and figures "or section 14A, as the case may be," shall be inserted.

**9.** In the said rules, for FORM GSTR-5A, the following form shall be substituted namely:–

**"FORM GSTR-5A**

*[See rule 64]*

**Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India and details of supplies of online money gaming by a person located outside India to a person in India**

1. GSTIN of the supplier-
2. (a) Legal name of the registered person -
   (b) Trade name, if any -
3. Name of the Authorised representative in India filing the return –
4. Period: Month - ______ Year –

4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:

5. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to non-taxable online recipient in India

*(Amount in Rupees)*

| Place of supply (State/UT) | Rate of tax | Taxable value | Integrated tax | Cess |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

5A. Amendments to taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services to non-taxable online recipient in India

*(Amount in Rupees)*

| Month | Place of supply (State/UT) | Rate of tax | Taxable value | Integrated tax | Cess |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5B. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

*(Amount in Rupees)*

| *GSTIN* | *Taxable Value* |
|---|---|
| *1* | *2* |
| | |
| | |
| | |

5C. Amendments to the taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

*(Amount in Rupees)*

| *Month* | *Original GSTIN* | *Revised GSTIN* | *Taxable value* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | |
| | | | |

5D. Supplies of online money gaming made to a person in India

*(Amount in Rupees)*

| Place of supply (State/UT) | Rate of tax | Taxable value | Integrated tax | Cess |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

5E. Amendments to supplies of online money gaming made to a person in India

*(Amount in Rupees)*

| Month | Place of supply (State/UT) | Rate of tax | Taxable value | Integrated tax | Cess |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Calculation of interest, or any other amount

*(Amount in Rupees)*

| Sr. No | Description | Place of supply(State/UT) | Amount due (Interest/ Other) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Integrated tax | Cess |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Interest | | | |
| 2. | Others | | | |
| | Total | | | |

7. Tax, interest, and any other amount payable and paid

*(Amount in Rupees)*

| Sr. No. | Description | Amount payable | | Debit entry no. | Amount paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Integrated Tax | Cess | | Integrated Tax | Cess |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Tax Liability (based on Table 5, 5A, 5D and 5E) | | | | | |
| 2. | Interest (based on Table 6) | | | | | |
| 3. | Others (based on Table 6) | | | | | |

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place

Date

Name of Authorised Signatory

Designation /Status"

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, *vide* notification No. 38/2023 -Central Tax, dated the 4th August 2023, *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 4th August 2023.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 02/2023- एकीकृत कर**

**सा.का.नि. 708(अ).—** केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,1 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 02/2023 – Integrated Tax**

**G.S.R. 708(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (31 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 03/2023-एकीकृत कर**

**सा.का.नि. 709(अ).—**सरकार,एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति को माल की पूर्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके आयात पर धारा 5 की उपधारा (1) का परंतुक लागू नहीं होगा किंतु जिस पर एकीकृत कर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत और संग्रहित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 03/2023 – Integrated Tax**

**G.S.R. 709(E).—**In exercise of powers conferred under proviso to sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, notifies the supply of online money gaming as the goods on import of which the proviso to sub-section (1) of section 5 of the said Act shall not apply, but on which integrated tax shall be levied and collected under sub-section (1) of section 5 of the said Act.

2.This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

**सं. 04/2023-एकीकृत कर**

**सा.का.नि. 710(अ).—**केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 14 के उपनियम (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 14क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, बेंगलुरू पश्चिम और उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को, भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति का उपबंध करने या उपबंध किए जाने के लिए सहमति प्रदान करने के मामले में, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए सशक्त अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करती है ।

**स्पष्टीकरण—**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" का वही अर्थ होगा, जो उसका केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80ख) में है ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2023

**No. 04/2023 – Integrated Tax**

**G.S.R. 710(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 and sub-section (2) of section 14A of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with sub-rule (2) of rule 14 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby notifies the Principal Commissioner of Central Tax, Bengaluru West and all the officers subordinate to him as the officers empowered to grant registration in case of supply of online money gaming provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory and received by a person in India.

***Explanation.***-For the purposes of this notification, "online money gaming" shall have the same meaning as assigned to it in clause (80B ) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20016/29/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA